

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जुलाई 2020—आषाढ़ 12, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, युवराज कुमार आत्मज स्व. उत्तम कुमार, उम्र 37 वर्ष, जाति सतनामी, निवासी-ग्राम व पो.-खोपली, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरी पुत्री कु. हिमांशी कक्षा सातवीं में अध्ययनरत है. उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम युवराज कुमार भारती दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरा वास्तविक नाम युवराज कुमार है. मैं अपनी पुत्री के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरे नाम को परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब मेरी पुत्री को कु. हिमांशी आत्मजा श्री युवराज कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कु. हिमांशी
पिता-श्री युवराज कुमार भारती
निवासी-ग्राम व पो.-खोपली,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कु. हिमांशी
पिता-श्री युवराज कुमार
निवासी-ग्राम व पो.-खोपली,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ग्लोरी सैमुएल पारकर ध. प. स्व. एस. पारकर, उम्र 52 वर्ष, निवासी-फ्लैट नं.-602, आकृति एकजॉटिका, सड़क नं.-4, मैत्री कुंज, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। पूर्व में मेरा नाम ग्लोरी एस. पारकर (Glory S. Parker) था, जो कि मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है। मेरा पूर्ण वास्तविक नाम ग्लोरी सैमुएल पारकर (Glory Samuel Parker) है। मैं अपने सर्विस रिकार्ड में मेरे नाम को परिवर्तित कर, पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे ग्लोरी सैमुएल पारकर (Glory Samuel Parker) ध. प. स्व. एस. पारकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

ग्लोरी एस. पारकर
(Glory S. Parker)
पति-स्व. एस. पारकर
निवासी-फ्लैट नं.-602,
आकृति एकजॉटिका,
सड़क नं.-4, मैत्री कुंज,
रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

ग्लोरी सैमुएल पारकर
(Glory Samuel Parker)
पति-स्व. एस. पारकर
निवासी-फ्लैट नं.-602,
आकृति एकजॉटिका,
सड़क नं.-4, मैत्री कुंज,
रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती निहारिका सिंह आत्मजा श्री पंचानन सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी-ब्लाक नं.-27, प्लॉट नं.-6 नेहरू नगर (पश्चिम) भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरा विवाह दिनांक 03-05-2007 को श्री संतोष कुमार राय के साथ संपन्न हुआ मोतीलाल नेहरू नगर (पश्चिम) भिलाई में मेरे नाम से आबंटित भूखण्ड में मेरा नाम श्रीमती निहारिका राय ध. प. श्री संतोष कुमार राय दर्ज है, किन्तु दिनांक 17-12-2018 को मेरा विवाह विच्छेद हो गया। पश्चात मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती निहारिका सिंह आत्मजा श्री पंचानन सिंह रख ली हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती निहारिका सिंह आत्मजा श्री पंचानन सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

श्रीमती निहारिका राय
पति-श्री संतोष कुमार राय
निवासी-ब्लाक नं.-27, प्लॉट नं.-6,
नेहरू नगर (पश्चिम) भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती निहारिका सिंह
पिता-श्री पंचानन सिंह
निवासी-ब्लाक नं.-27, प्लॉट नं.-6,
नेहरू नगर (पश्चिम) भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती ऋतु साहू ध. प. श्री गुपेन्द्र कुमार साहू, उम्र 29 वर्ष, निवासी-ग्राम-मोखला, पोस्ट-भरेंगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे कक्षा दसवीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम Ritu आत्मजा Girdhari Lal, कक्षा बारहवीं तथा जाति प्रमाण पत्र में Ritu Sahoo आत्मजा Girdhari Lal, ऋतु साहू आ. गिरधारी लाल, स्नातक तथा स्नातकोत्तर के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में Ku. Ritu Sahu आत्मजा Shri Girdhari Lal Sahu, बी. एड. की मार्कशीट में Ritu Sahu आत्मजा Shri Girdhari Lal Sahu रोजगार पंजीयन में Ritu आत्मजा Girdhari Lal Sahu दर्ज है। जिनकी स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है। मेरा विवाह दिनांक 03-06-2013 को श्री गुपेन्द्र कुमार साहू के साथ संपन्न हुआ। विवाह पश्चात मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती ऋतु साहू ध. प. श्री गुपेन्द्र कुमार साहू रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती ऋतु साहू (Smt. Ritu Sahoo) ध. प. श्री गुपेन्द्र कुमार साहू (Shri Gupendra Kumar Sahu) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
Ritu, Ku. Ritu Sahu, Ritu Sahu पिता-Girdhari Lal, गिरधारी लाल निवासी-ग्राम-मोखला, पोस्ट-भरेंगांव, तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)	श्रीमती ऋतु साहू Smt. Ritu Sahoo) पति- श्री गुपेन्द्र कुमार साहू (W/o-Shri Gupendra Kumar Sahu) निवासी-ग्राम-मोखला, पोस्ट-भरेंगांव, तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती भानी साहू ध. प. श्री खेदराम साहू, उम्र 51 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-21-ए, सड़क-एन. पी. ए. सेक्टर-5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम भानी साहू तथा कुछ शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों में भानी बाई साहू दर्ज है। मैं अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती भानी साहू रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती भानी साहू ध. प. श्री खेदराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती भानी बाई साहू पति-श्री खेदराम साहू निवासी-क्वा. नं.-21-ए, सड़क-एन. पी. ए. सेक्टर-5, भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती भानी साहू पति-श्री खेदराम साहू निवासी-क्वा. नं.-21-ए, सड़क-एन. पी. ए. सेक्टर-5, भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Madanalu Prakash Rao आत्मज Shri M. Gurayya, उम्र 58 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-7/बी., सड़क नं.-15, सेक्टर-05, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, संपत्ति के दस्तावेजों तथा कुछ अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम M. Prakash Rao, पेनकार्ड में Madanla Prakash Rao दर्ज है, जो कि अपूर्ण व स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही व पूर्ण नाम Madanalu Prakash Rao, रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे Madanalu Prakash Rao आत्मज Shri M. Gurayya के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

Madanla Prakash Rao,
M. Prakash Rao
पिता-Shri M. Gurayya
निवासी-क्वा. नं.-7/बी.,
सड़क नं.-15,
सेक्टर-05, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

Madanalu Prakash Rao,
पिता-Shri M. Gurayya
निवासी-क्वा. नं.-7/बी.,
सड़क नं.-15,
सेक्टर-05, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुनील कुमार चन्द्राकर आत्मज स्व. दाऊलाल, उम्र 52 वर्ष, निवासी-ब्लॉक नं.-5/डी, सड़क -12, सेक्टर-6, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम सुनील कुमार दर्ज है, जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “चन्द्राकर” जोड़कर पूर्ण नाम सुनील कुमार चन्द्राकर रख लिया हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे सुनील कुमार चन्द्राकर आ. स्व. दाऊलाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

सुनील कुमार
पिता-स्व. दाऊलाल
निवासी-ब्लॉक नं.-5/डी,
सड़क -12, सेक्टर-6,
भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सुनील कुमार चन्द्राकर
पिता-स्व. दाऊलाल
निवासी-ब्लॉक नं.-5/डी,
सड़क -12, सेक्टर-6,
भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संतराम चंद्रवंशी आत्मज स्व. उदेराम, उम्र 51 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.- 1-सी, सड़क-4, सेक्टर-4, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम संतराम दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “चंद्रवंशी” जोड़कर पूर्ण नाम संतराम चंद्रवंशी रख लिया हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे संतराम चंद्रवंशी आ. स्व. उदेराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

संतराम
पिता-स्व. उदेराम
निवासी-क्वा. नं.- 1-सी,
सड़क-4, सेक्टर-4,
भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

संतराम चंद्रवंशी
पिता-स्व. उदेराम
निवासी-क्वा. नं.- 1-सी,
सड़क-4, सेक्टर-4,
भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हरिप्रसाद साहू आत्मज स्व. तुलसीराम, उम्र 58 वर्ष, निवासी-ग्राम-घुघसीडीह, पोस्ट-खोपली, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम हरिप्रसाद दर्ज है जो कि अपूर्ण है मैं अपने नाम के साथ उपनाम “साहू” जोड़कर पूर्ण नाम हरिप्रसाद साहू रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे हरिप्रसाद साहू आ. स्व. तुलसीराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

हरिप्रसाद
पिता-स्व. तुलसीराम
निवासी-ग्राम-घुघसीडीह,
पोस्ट-खोपली,
तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

हरिप्रसाद साहू
पिता-स्व. तुलसीराम
निवासी-ग्राम-घुघसीडीह,
पोस्ट-खोपली,
तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कमलेश प्रसाद पाण्डेय आत्मज श्री विरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, उम्र 49 वर्ष, निवासी-फ्लैट नं.-201, मयूरी हाईट्स आर्शिवाद भवन के पास, मैत्रीकुंज, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम कमलेश प्रसाद आ. श्री विरेन्द्र प्रसाद दर्ज है जो कि अपूर्ण है। जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम विरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “पाण्डेय” जोड़कर पूर्ण नाम कमलेश प्रसाद पाण्डेय (Kamlesh Prasad Pandey) रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह पूर्ण नाम/उपनाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे कमलेश प्रसाद पाण्डेय (Kamlesh Prasad Pandey) आ. श्री विरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

कमलेश प्रसाद
(Kamlesh Prasad)
पिता-श्री विरेन्द्र प्रसाद
निवासी-फ्लैट नं.-201,
मयूरी हाईट्स आर्शिवाद भवन
के पास, मैत्रीकुंज,
रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कमलेश प्रसाद पाण्डेय
(Kamlesh Prasad Pandey)
पिता-श्री विरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय
निवासी-फ्लैट नं.-201,
मयूरी हाईट्स आर्शिवाद भवन
के पास, मैत्रीकुंज,
रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रमोद कुमार साहू आत्मज श्री दीनदयाल साहू, उम्र 47 वर्ष, निवासी- जोन-3, सड़क-7, न्यू आदर्श नगर, दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम प्रमोद कुमार (Pramod Kumar) दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “साहू” जोड़कर पूर्ण नाम प्रमोद कुमार साहू (Pramod Kumar Sahu) रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह पूर्ण नाम मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे प्रमोद कुमार साहू (Pramod Kumar Sahu) आ. श्री दीनदयाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

प्रमोद कुमार
(Pramod Kumar)
पिता- श्री दीनदयाल साहू
निवासी-जोन-3, सड़क-7,
न्यू आदर्श नगर, दुर्ग,
तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

प्रमोद कुमार साहू
(Pramod Kumar Sahu)
पिता- श्री दीनदयाल साहू
निवासी-जोन-3, सड़क-7,
न्यू आदर्श नगर, दुर्ग,
तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2020

प्र. क्र. 07/ब-113 (1)/वर्ष 2019-20

क्रमांक/Q/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2020.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री विवेक खेतान न्यासी पिता श्री अरूण खेतान निवासी खेतान बिल्डिंग, मौदहापारा पुलिस स्टेशन, मौदहापारा रायपुर की ओर से उनके अधिवक्ता श्री प्रदीप सरकार ने उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर “परोपकार फाउण्डेशन” पता-305, 306, 307, 308 ब्लॉक आई तृतीय तल, गोरे परिसर, सिविल लाईन्स रायपुर छ. ग. का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-04 (2) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता :- “परोपकार फाउण्डेशन” 305, 306, 307, 308 ब्लॉक आई तृतीय तल, गोरे परिसर, सिविल लाईन्स रायपुर छ. ग.
2. चल संपत्ति :- ट्रस्ट के नाम नगद जमा रकम 1,00,000/- (रु. एक लाख रुपये मात्र)
3. अचल संपत्ति :- निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 15-6-2020 को उपस्थित होंगे. निर्धारित तिथि के पश्चात प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईशतहार आज दिनांक 2-6-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

प्रणव सिंह
पंजीयक एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला-बालोद (छ. ग.)

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपबा/परि./2020/58.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आदिवासी गौण खनिज सहकारी समिति मर्या. कोटेरा पं. क्र. 2338 विकासखंड-डौंडीलोहारा, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत आदिवासी गौण खनिज सहकारी समिति मर्या. कोटेरा पं. क्र. 2338 विकासखंड-डौंडीलोहारा, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. के. झा/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपबा/परि./2020/81.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. नारागाँव पं. क्र. 2446 विकासखंड-गुरूर, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. नारागाँव पं. क्र. 2446 विकासखंड-गुरूर, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जितेश कुमार साहू/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/103.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत किसान पत्थर सहकारी समिति मर्या. बगईकोन्हा पं. क्र. 2713 विकासखंड-डौंडीलोहारा, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत किसान पत्थर सहकारी समिति मर्या. बगईकोन्हा पं. क्र. 2713 विकासखंड-डौंडीलोहारा, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री बी. एल. नेताम/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/82.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत छ. ग. मत्स्य सहकारी समिति मर्या. सांकरा ज पं. क्र. 2305 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत छ. ग. मत्स्य सहकारी समिति मर्या. सांकरा ज पं. क्र. 2305 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जितेश कुमार साहू/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/83.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. हसदा पं. क्र. 2663 विकासखंड-गुरुर, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. हसदा पं. क्र. 2663 विकासखंड-गुरूर, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जितेश कुमार साहू/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/84.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत तौलक हमाल श्रमिक सहकारी समिति मर्या. बालोद पं. क्र. 11 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत तौलक हमाल श्रमिक सहकारी समिति मर्या. बालोद पं. क्र. 11 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जितेश कुमार साहू/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/85.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जिला सहकारी साख एवं ऋण सहकारी समिति मर्या. बालोद पं. क्र. 16 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत जिला सहकारी साख एवं ऋण सहकारी समिति मर्या. बालोद पं. क्र. 16 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जितेश कुमार साहू/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/86.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आदिवासी पाषाण सहकारी समिति मर्या. हथौद पं. क्र. 2480 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत आदिवासी पाषाण सहकारी समिति मर्या. हथौद पं. क्र. 2480 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जितेश कुमार साहू/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/87.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. नवागाँव पं. क्र. 2439 विकासखंड-गुरुर, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. नवागाँव पं. क्र. 2439 विकासखंड-गुरुर, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रीमती संगिता डहरवाल/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/88.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. नैकुरा पं. क्र. 2441 विकासखंड-गुरुर, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. नैकुरा पं. क्र. 2441 विकासखंड-गुरुर, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रीमती संगिता डहरवाल/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/89.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. आमापानी पं. क्र. 2442 विकासखंड-गुरुर, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. आमापानी पं. क्र. 2442 विकासखंड-गुरुर, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रीमती संगिता डहरवाल/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/90.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या. उमरादाह पं. क्र. 2131 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या. उमरादाह पं. क्र. 2131 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रीमती संगिता डहरवाल/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/91.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत केरियर पाईट कम्प्यूटर सहकारी समिति मर्या. बालोद पं. क्र. 2707 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत केरियर पाईट कम्प्यूटर सहकारी समिति मर्या. बालोद पं. क्र. 2707 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रीमती संगिता डहरवाल/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/92.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत बीज भंडार सहकारी समिति मर्या. बघमरा पं. क्र. 372 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत बीज भंडार सहकारी समिति मर्या. बघमरा पं. क्र. 372 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रीमती संगिता डहरवाल/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/93.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत सी. ई. सी. ईट खपरा सहकारी समिति मर्या. खपरी पं. क्र. 2479 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत सी. ई. सी. ईट खपरा सहकारी समिति मर्या. खपरी पं. क्र. 2479 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रीमती संगिता डहरवाल/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/94.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत ईट कवेलू सहकारी समिति मर्या. खुर्सीटिकुल पं. क्र. 2704 विकासखंड-डौंडी, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत ईट कवेलू सहकारी समिति मर्या. खुर्सीटिकुल पं. क्र. 2704 विकासखंड-डौंडी, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रीमती संगिता डहरवाल/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/95.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. दानीटोला पं. क्र. 2433 विकासखंड-डौंडी, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. दानीटोला पं. क्र. 2433 विकासखंड-डौंडी, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री बी. एल. नेताम/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/96.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. सेम्हरकोना पं. क्र. 2434 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. सेम्हरकोना पं. क्र. 2434 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री बी. एल. नेताम/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/97.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. रानीतराई पं. क्र. 2435 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. रानीतराई पं. क्र. 2435 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री बी. एल. नेताम/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/98.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या. गोदुलमुड़ा पं. क्र. 2989 विकासखंड-डोंडी, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या. गोदुलमुड़ा पं. क्र. 2989 विकासखंड-डौंडी, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री बी. एल. नेताम/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/99.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. डोटोपार पं. क्र. 2662 विकासखंड-गुरूर, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. डोटोपार पं. क्र. 2662 विकासखंड-गुरूर, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री बी. एल. नेताम/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/100.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत नवसाक्षर पत्थर सहकारी समिति मर्या. मडियाकट्टा पं. क्र. 2639 विकासखंड-डौंडीलोहारा, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत नवसाक्षर पत्थर सहकारी समिति मर्या. मडियाकट्टा पं. क्र. 2639 विकासखंड-डौंडीलोहारा, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री बी. एल. नेताम/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/101.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आदिवासी पत्थर सहकारी समिति मर्या. मड़वापथरा पं. क्र. 2690 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत आदिवासी पत्थर सहकारी समिति मर्या. मड़वापथरा पं. क्र. 2690 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री बी. एल. नेताम/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/102.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आदर्श खदान सहकारी समिति मर्या. राजहरा पं. क्र. 2696 विकासखंड-डोंडी, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत आदर्श खदान सहकारी समिति मर्या. राजहरा पं. क्र. 2696 विकासखंड-डोंडी, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री बी. एल. नेताम/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

मुकेश कुमार ध्रुव,
उप पंजीयक.